



समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्र...../2016 R 3881-I-16

पुनरीक्षणकर्तागण

- 1. श्रीमति पुत्तो बाई उम्र करीब 70 वर्ष पति स्व. रामसिंह
- 2. श्रीमती सुमन बाई उम्र करीब 50 वर्ष पति स्व. शोभा सिंह
- 3. दीपक सिंह उम्र 26 वर्ष आत्मज स्व. शोभा सिंह
- 4. श्रीमती रंजना सिंह उम्र करीब 45 वर्ष पति स्व. राजेन्द्र सिंह
- 5. राहुल सिंह उम्र करीब 27 वर्ष आत्मज स्व. राजेन्द्र सिंह
- 6. निखिल सिंह उम्र करीब 23 वर्ष आत्मज स्व. राजेन्द्र सिंह
- 7. श्रीमती रानू सिंह उम्र करीब 30 वर्ष आत्मज स्व. राजेन्द्र सिंह
- 8. पूरन सिंह उम्र करीब 49 वर्ष आत्मज स्व. रामसिंह
उपरोक्त क्र. 1 लगाय 8 सभी निवासी— म.नं. 263, संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर, (म.प्र.)

विरुद्ध

- 1. श्रीमती लक्ष्मी बाई उम्र करीब 60 वर्ष पति स्व. मोहन सिंह
- 2. जितेन्द्र सिंह उम्र करीब 42 वर्ष आत्मज स्व. मोहन सिंह
- 3. श्रीमती मालती बाई उम्र करीब 40 वर्ष आत्मजा स्व. मोहन सिंह
उपरोक्त क्र. 1 लगाय 3 सभी निवासी— ग्राम मुरगवां, पोस्ट कटंगी, तहसील—पाटन, जिला जबलपुर, (म.प्र.)
- 4. नायब तहसीलदार (नजूल) जबलपुर, (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959

के तहत

मानविकी न्यायालय के समक्ष विनम्र निवेदन करते हैं :—

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी-3881-एक/16

जिला – जबलपुर

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | जिला – जबलपुर |
|------------------|---|--|
| 20.12.2017 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के के द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वे अब इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं, अतः प्रकरण नोटप्रेस में समाप्त किया जाए। विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए प्रकरण नोटप्रेस में समाप्त किया जाता है।</p> <p></p> | <p>Mot P. 2017 20.12.2017</p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p> |